न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 46/2021

उनवान

1. श्री शंकर लाल पुत्र एकलिंग अहीर निवासी जोजरों का खेडा तह गंगारार जिला चितौडगढ (राज)
2. कालु पुत्र चुना अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. नगजी पुत्र श्री रता अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. नालालाल पुत्र नन्दा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. टम्मू पत्नी रता अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
2. नन्दलाल पुत्र लाला अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
3. रामेश्वर पुत्र रता अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
4. सम्पत पुत्र रता अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
5. नानालाल पुत्र सोहन लाल शर्मा निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ।
6. रामकन्या पत्नी स्व0 मोहनलाल अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
7. चांदी पत्नी स्व0 काना अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
8. नाना पुत्र दोला अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
9. नारायण पुत्र काना अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
10. सीताराम पुत्र काना अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
11. सागरमल बापना पुत्र भंवल लाल बापना निवासी रेलवे स्टेशन कविनगर हमीरगढ
12. नारायण पुत्र पेमा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
13. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
14. कालु पुत्र घीसा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
15. कन्हैयालाल पुत्र मांगी लाल अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
16. नन्दा दत्तक पुत्र जोधा अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
17. किसना पुत्र भैरू अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
18. पेमा पुत्र भागीरथ अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
19. भगवान पुत्र उंकार अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
20. रतन पुत्र उंकार अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
21. शंकर पुत्र उंकार अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
22. शान्ति लाल पुत्र उंकार अहीर निवासी तख्तपुरा तह हमीरगढ।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.03.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.08.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम **औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 234 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1172** रकबा 4.0843 है0 कुल किता 01 रकबा 4.0843है0। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत [illegible] इसलि[illegible] सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। [illegible] खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन [illegible]। पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2021 को पंजीबद्ध [illegible] बावजूद [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 व 17 व 19 लगायत 22 तामील प्रवत उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त विपक्षी संख्या 18 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 18 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 18 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा0पत्र में विपक्षी संख्या 18 का नाम डिलीट किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh[illegible]
Date: 2022.10.11 16:55
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन [कि]या गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 234 की कृषि भूमि की आराजी नम्बर 1172 रकबा 4.0843 है0 कुल किता 01 रकबा 4.0843है0।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 2000/–रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 16:55:03 IST
Reason: SelfAttested